संख्या 1113/न.वि./आ./2001–112(आ)/2001

प्रेषक,

पी.सी. शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल।

सेवा में,

1. अध्यक्ष
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
दूनघाटी/नैनीताल/गंगोत्री।

2. उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण
मसूरी–देहरादून/हरिद्वार।

3. नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, रूडकी/बद्रीनाथ/औली/केदारनाथ/गोपेश्वर–चमोली/गौचर/चौपला/पौडी/उत्तरकाशी/श्रीनगर/नया टिहरी/चकराता (नवीन)/पिथौरागढ़/कौसानी/हल्द्वानी–काठगोदाम/रूद्रपुर/किच्छा/काशीपुर/ रामनगर/बाजपुर

आवास एवं शहरी विकास

देहरादूनः दिनांक 14 जून 2001

विषयः आर्किटेक्ट एक्ट–1972 के प्राविधानों को लागू किया जाना।

महोदय,

प्रशासनिक अधिकारी, काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उत्तरांचल राज्य में कतिपय व्यक्तियों द्वारा जो वास्तुकार हेतु आवश्यक अर्हतायें नहीं रखते हैं छद्म रूप से वास्तुकार के रूप में अपने को प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों में पंजीकृत करवाकर कार्य कर रहे हैं, जो कि आकिटेक्ट्स एक्ट 1972 की धारा 37 के प्राविधानों के विरूद्ध है। इससे न केवल वास्तुकारों के व्यवसाय बल्कि भवनों के निर्माण संबंधी सुरक्षा तथा डिजाइन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वास्तुकारों के व्यवसाय के संरक्षण एवं जनसाधारण के हितों तथा जानमाल की क्षति की सुरक्षा हेतु, इस पर ततकाल प्रतिबंध लगाये जाने हेतु उनके द्वारा अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 एक केन्द्रीय कानून है तथा भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन संख्या 229 दिनांक 1 सितम्बर, 1972 से सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रभावी है। इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर का गठन किया गया है तथा धारा 37 के प्राविधानों के अंतर्गत काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्डर्ड आर्किटेक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आर्किटेक्ट के टाईटिल के साथ कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत ऐसा करना एक दण्डनीय अपराध भी है। इसके अतिरिक्त काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत आर्किटेक्ट को सम्पूर्ण भारतवर्ष में आर्किटेक्ट के रूप में कार्य करने के लिये किसी अन्य स्तर पर रजिस्ट्रेशन कराने अथवा लाईसेन्स लेने की भी आवश्यकता नहीं है, यदि उनका पंजीकरण नियमित रूप से नवीनीकरण हो रहा हो।

3. कृपया अपने क्षेत्र में आप आर्किटेक्ट्स एक्ट, 1972 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करायें। यदि आपके अभिकरण में कोई व्यक्ति जो काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा आर्किटेक्ट के रूप में पंजीकृत नही है तथा उसे इस प्रयोजन हेतु लाईसेन्स दिया गया ळै तो उसका लाईसेन्स तुरन्त निरस्त कर दिया जाये। अनाधिकृत रूप से आर्किटेक्ट के रूप में कार्य कर रहे व्याक्तियों के विरूद्ध तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करके कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

भवदीय
Sd/-
(पी.सी. शर्मा)
सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. श्री के गोपाल कृष्ण भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी, काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर, इण्डिया हैबीटाट सेन्टर, 6 ए प्रथम तल, लोधी रोड़, नई दिल्ली को उनके पत्रांक सी0ए0/28/2001/एई दिनांक 04 अप्रैल, 2001 जो मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन, देहरादून को संबोदित है, के संदर्भ में।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, अवस्थपना, उत्तरांचल शासन।
4. प्रभारी अधिकारी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

Sd/-
(पी.सी. शर्मा)
सचिव